न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– गुंजन सिंह आई.ए.एस.

प्र.सं. 130 / 2010

जीसीएमएस : 2010 / 00073

कुलदीप सिंह आदि बनाम अंग्रेज कौर आदि
अन्तर्गत धारा 88–92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

1. श्री रविन्द्र बिश्नोई, वकील वादीगण (अप्रार्थी)
2. श्री अवतार सिंह, वकील प्रतिवादी सं. 2 से 5(प्रार्थी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता

–: निर्णय :–

दिनांक : 16.01.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादीगण द्वारा वाद 88–92ए राज. काश्त.अधि. के तहत प्रतिकूल कब्जा के आधार पर अपने अधिकारों की घोषणा हेतु पेश किया है। वादीगण को कब्जा प्रार्थीगण के पिता दरबार सिंह की अनुमति से ही प्राप्त हुआ। विधि अनुसार जब कब्जा अनुमति से प्राप्त हुआ हो तो प्रतिकूल कब्जा की डिक्री प्रदान नहीं की जा सकती अर्थात Barred by Law है। वादीगण द्वारा एक वाद श्रीमान् अपर जिला न्यायाधीश, रायसिंहनगर के न्यायालय में इकरारनामा की विनिर्दिष्ट पालना हेतु प्रस्तुत किया गया था जो न्यायालय द्वारा वादीगण के पक्ष में वाद कारण न होने के कारण दावा खारिज कर दिया गया। वादीगण को कोई वाद कारण प्राप्त नहीं हैं। प्रार्थीगण के पिता दरबारा सिंह का देहान्त दिनांक 13.11.1988 को हो गया था जिस कारण दरबारा सिंह द्वारा तथाकथित रूप से लिखित दस्तावेज मुखत्यारानामा स्वतः ही निरस्त हो गया था। वर्तमान वाद वर्ष 2011 में प्रस्तुत किया गया है जो कि दरबारा सिंह की मृत्यु के 23 वर्ष बाद एवं तथाकथित इकरारनामा दिनांक 27.08.1985 के लगभग 26 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया है जो किसी भी प्रकार से वाद प्रस्तुत करने की समयावधि से बाहर है और Barred by Law(Limitation Act) होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य हैं। इस प्रकार वाद में श्री दरबारा सिंह या उनके वारिसान से उक्त तथाकथित इकरारनामा के आधार पर दस्तावेज विक्रय विलेख पंजीकृत करवाने के लिए आग्रह नहीं किया गया। इस प्रकार उन्हें कोई वाद कारण प्राप्त नहीं हैं। राज्य सरकार द्वारा कोलोनाईजेशन एक्ट को प्रभावहीन घोषित करते हुए उक्त अधिनियम को निरस्त कर दिया, लेकिन उसके पश्चात भी वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से कोई सम्पर्क नहीं किया गया और न ही कोई तथाकथित दस्तावेज इकरारनामा के आधार पर विक्रय पत्र दस्तावेज पंजीकृत कराने का अनुरोध किया गया। प्रार्थीगण को हैरान परेशान करने एवं नुकसान पंहुचाने के उद्देश्य से उक्त वाद प्रस्तुत किया है जो vexatious and frivolous होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य हैं। वाद वादीगण खारिज करने के लिए निवेदन किया।

वादीगण जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र की मदों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण विधिक प्रावधानों के अनुकूल नहीं होने के कारण नाकाबिल चलने के हैं। प्रतिवादीगण इस स्तर पर प्रार्थना पत्र नहीं ला सकते एवं जो बिन्दू प्रार्थना पत्र में उठाये गये है उन[illegible] से ही हो सकता हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र काबिल निरस्ती के हैं। प्रतिवादीगण [illegible] नहीं हैं, उन्होंने जवाबदेही से बचने व देरी करने एवं प्रकरण में उल[illegible] पत्र पेश किया है, जो नाकाबिल चलने के है। प्रार्थना [illegible] निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष की बहस सु[illegible]यी। वकील प्रतिवादीग[illegible] अपनी बहस में कथन किया कि वादीगण प्रतिकूल कब्जा के आधार पर वाद पेश कि[illegible] प्रतिकूल कब्जा के आधार पर किसी को खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता हैं। वादीगण द्वारा तथाकथित इकरारनामा के आधार पर भूमि खरीद करने का कथन किया गया हैं, उक्त इकरारनामा की विनिर्दिष्ट पालना का वाद सिविल न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका हैं। वादीगण ने न्यायालय से तथ्य छिपाते हुए वाद पेश किया हैं, जो विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज योग्य हैं। वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद लाने का वादकारण भी हासिल नहीं हैं। अतः वाद खारिज किया जावे। वकील वादीगण(अप्रार्थी) अपनी बहस में कथन

Signature Not Verified
Digitally signed by Gunjan Singh
Date: 2023.03.22 11:39:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]सिंहनगर

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सीपीसी)
परिशिष्ट घ संख्यांक–1
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारी : गुंजन सिंह आई.ए.एस

प्र.सं. 130/2010 जीसीएमएस : 2010/00073

कुलदीप सिंह आदि बनाम अंग्रेज कौर आदि
अन्तर्गत धारा 88–92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी

दिनांकः–16.01.2023

वाद के आज श्री रविन्द्र बिश्नोई, अधिवक्ता वादी, श्री अवतार सिंह बराड़ अधिवक्ता प्रतिवादीगण की उपस्थिति में आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती हैं कि –

"प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारिज किया जाता हैं।"

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

डिक्री आज दिनांक 16.01.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(गुंजन सिंह)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4. .....रूपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		5. आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		6. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Gurjan Singh
Date: 2023.03.22 11:39:00 IST
Reason: SelfAttested